संख्या-584/2023/3118/सीएन-1737892-128-बजट-2019

प्रेषक,

रामेश्वर सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग लखनऊ :: दिनांक 01 सितम्बर, 2023

विषय:-जनपद मथुरा के मध्य स्थित मुक्ताकाशीय रंगमंच के पुनर्विकास कार्य हेतु पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पर्यटन निदेशालय के पत्र सं0-2058/6-1-1/ब्र0ती0वि0प0/(92) /2019, दिनांक 05.07.2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से जनपद मथुरा के मध्य स्थित मुक्ताकाशीय रंगमंच के पुनर्विकास के सम्बन्ध में परियोजना का संशोधित डी0पी0आर0 उपलब्ध कराते हुए पुनरीक्षित लागत रू0 1991.38 लाख को प्रेषित करते हुए पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- प्रश्नगत प्रायोजना में सम्मिलित उच्च विशिष्टियों के कार्य के सम्बन्ध में पी0एफ0ए0डी0 द्वारा मूल्यांकित लागत रू0 1962.52 लाख में से रू0 99.25 लाख पर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 08.08.2023 में अनुमोदन प्रदान किया गया है।

3- जनपद मथुरा के मध्य स्थित मुक्ताकाशीय रंगमंच के पुनर्विकास हेतु शासनादेश सं0-20/2022/3475/41-2019-128(बजट)/2019, दिनांक 14.01.2020 द्वारा धनराशि रू0 1202.12 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है। प्रश्नगत प्रायोजना हेतु अब तक धनराशि रू0 880.85 लाख अवमुक्त की जा चुकी है।

4- उक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद मथुरा के मध्य स्थित मुक्ताकाशीय रंगमंच के पुनर्विकास हेतु पुनरीक्षित लागत रू0 1991.38 लाख के सापेक्ष पी0एफ0ए0डी0 द्वारा मूल्यांकित लागत रू0 1962.52 लाख (जी0एस0टी0 सहित) की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) प्रश्नगत कार्य के सम्बन्ध में पूर्व निर्गत शासनादेश दिनांक 14.01.2020 तथा शासनादेश दिनांक 16.03.2023 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा/पढ़ा जाय। शासनादेश के शेष शर्तें व प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे तथा उसका अनिवार्य रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत प्रायोजना हेतु व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-3227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17 मार्च, 2023 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

(3) प्रश्नगत प्रायोजना हेतु व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-बी- 2-2528/दस-2014-10/77, दिनांक 26.08.2014 तथा शासनादेश संख्या- 12/2018/बी-2-856/दस-2018-10/77, दिनांक 15.06.2018 में दिये गये दिशा- निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) प्रायोजना हेतु सेन्टेज चार्जेज (प्रतिशत प्रभार), निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से सम्बन्धित वित्तीय प्रबन्धन के सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 एवं शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2-66/दस- 2023- 17(4)/75, दिनांक 19 मई, 2023 में निहित दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक-17 मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(रामेश्वर सिंह)
अनु सचिव।

<u>संख्या व दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. निजी सचिव, मा0 मंत्री, पर्यटन विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. जिलाधिकारी, मथुरा।
5. उपाध्यक्ष, उ0प्र0 ब्रज तीर्थ विकास परिषद, मथुरा।
6. मुख्य कार्यपालक, मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा।
7. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
8. वरिष्ठ कोषाधिकारी, मथुरा।
9. निदेशक, उ0 प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (UPNEDA), लखनऊ।
10. निदेशक, पर्यटन निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया क्रमांक-7, 8 , 9 व 10 को अपने स्तर से आदेश की प्रति प्रेषित करने का कष्ट करें।
11. अधिशाषी अभियन्ता, मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा।
12. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
13. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(रामेश्वर सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।